



हरियाणा सरकार

जेल विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 2008-09

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE HARYANA JAILS DEPT. FOR THE YEAR 2008-09.

In the year 2008-09 following Institutions functioned under the Administrative control of the Jails dept. of Haryana State :—

1.	Central Jail at Ambala and Hisar	02
2.	District Jails at Rohtak, Gurgaon, Karnal, Kurukshetra, Bhiwani, Sirsa, Jind, Sonapat, Rewari, Kaithal and Narnaul.	11
3.	Borstal institute and Juvenile Jail at Hisar	01
4.	Sub Jails at Palwal, Panipat, Ballabgarh, and Jagadhari	04
5.	Jail Training school at Karnal	01
6.	Office of the District Probation Officer at Ambala, Hisar, Rohtak, Karnal, Gurgaon, Jind, Bhiwani, and Sirsa.	08
TOTAL		27

2. The total number of prisoners of all categories in jails and judicial lock ups of the state was 13193 as on 01.04.2008, during the year 68469 prisoners remained admitted in the jails. The average number of all categories of inmates during the year was 223.73. At the end of the year 14149 prisoners were remaining in jails. The number of convicts in Judicial Lockups was 4922 as on 01.04.2008. During the year 7903 persons were convicted either by the courts in Haryana, or on transfer from other places were sent to the jails in Haryana. 7384 convicts were discharged from jails. Thus 5441 convicts were remaining at the end of the year. Daily average of convicts during the year was 35.14 Maximum number of convicts of all types was 5185. The number of High Security Class convicts as on 01.04.2008 was 38. During the year 23 convicts were admitted and 21 convicts were discharged. 40 convicts were remaining at the end of the year. The number of persons imprisoned in lieu of fine was 68 as on 01-04-08 and during the year 904 convicts were admitted and 940 were discharged. Thus 32 convicts were remaining at the end of the year.

The number of undertrial prisoners as on 01.04.2008 was 8271. During the year further 60566 were admitted in Jails. Daily average of such undertrial prisoners was 188.59. Maximum number of undertrial prisoners was 8011.

(ii)

Out of 68837 undertrial prisoners, 60129 prisoners were released 8708 undertrial prisoners were remaining at the end of the year. 189 undertrial prisoners were transferred and 31 prisoners died during the year. The undertrial prisoners had to stay in jails of Haryana on an average of 46 days.

Number of women prisoners in Jails of Haryana as on 01.04.2008 was 483. During the year, 2340 women prisoners were admitted in Jails (direct or by transfer from other Jails) and 2283 women were either released or sent to other Jails. Therefore, number of women prisoners at the end of the year were 540. There were 80 children along with women prisoners as on 01.04.2008. During the year 6 children were born and 203 came to Jail with women prisoners. 236 children were released with women prisoners. Thus at the end of the year only 53 children remained admitted along with the women prisoners.

3. During the year a sum of Rs. 50,07,92,384/- was spent on the protection, diet etc. on the prisoners. Thus per capita average expenditure was Rs. 37,950/- (Rs. 103.97 per prisoner per day).

4. During the year 2008-09 health of the prisoners remained satisfactory and due attention was paid towards the sanitation of Jails. T.B patients were isolated in special wards and they were given suitable medical treatment. In order to improve the general sanitation, flush latrines with under ground sewerage were provided for prisoners in all jails of Haryana. Further more fans were also provided in living barracks and other accommodation for the prisoners. These conveniences provided to the prisoners with much desired relief during the summer and rainy seasons.

During the year under report the standard discipline in the jails was satisfactory, the details of which are as under :—

- | | |
|-------------------|--|
| a) Quarrel/Brawls | During the year 2008-09, there were 39 Quarrels/Brawls in Jails of the state. |
| b) Hunger Strike | During the year 2008-09 no Prisoner or Undertrial resorted to hunger strike. |
| c) Escape | During the year 2008-09, no prisoner escaped from the Jails of Haryana and no prisoner was recaptured. |
| d) Attack | During the year 2008-09, there was no case of attack on the prisoners. |

(iii)

e) Offences

During the year 2008-09, the total number of Jail offences was 1537, the details of which are as under:

Offences	2007-08	2008-09
i) Total offences for which the prisoners were sent to courts.	1666	1537
ii) Total Major Offences	187	473
iii) Minor Offences	1479	1064
Total	1666	1537

47 prisoners undergoing life imprisonment were released pre-maturely and 3370 prisoners were released on parole/furlough. With a view to mitigate the financial difficulties and physical strains of the relatives and friends to visit the prisoners, the prisoners are kept in the jails nearest to their home places as far as possible. The prisoners whose performance in jails was adjudged best and whose Jail conduct was found satisfactory, they were awarded special remission.

5. For mental and physical development of the prisoners, arrangement for lectures on religious topics were made. Arrangements for morning and evening prayers, meetings, radio programmes, indoor and outdoor games and practices of yoga had also been made. 952 lectures, 48 dramas and 143 cultural programmes were organized. For the recreation of prisoners television sets have also been installed in Jails.

6. The details of production of factories in jails are given in table below:—

Sr.No.	Name of Jails	2007-08	2008-09
1.	C.J. Ambala	2281411-00	1888033-00
2.	C.J. Hisar	1779543-00	1021050-00
3.	B.I. J. Hisar	43648-00	36578-00
4.	D.J. Rohtak	763842-00	1368333-00
5.	D.J. Karnal	1302750-00	1020091-00
6.	D.J. Narnaul	27997-00	48750-00
7.	D.J. Bhiwani	527226-00	505167-00
8.	D.J. Gurgaon	287114-00	363296-00
	Total	7013531-00	6251298-00

(iv)

7. In the year 2008-09, 274 Assistant Superintendent/Sub. Assistant Superintendent/Head Warders were imparted training in the Jail Training School, Hisar. During the year 2008-09, 215 officers/officials were imparted training in various Institutes.

8. The prisoners were given the facilities for purchasing commodities for their personal use such as Sugar, Tea, Gur, Ghee, Soap, Oil, etc. from the canteen of the Jails at reasonable prices. These canteens have been opened in the Central Jails/ District Jails, Borstal Institution and Juvenile Jail and major Sub Jails.

9. This facility checked the tendency of taking things from outside in Jails. The Panchayat of the prisoners appointed in various jails gave full co-operation to the officers in distributing ration and other goods. Special concession was given to those prisoners performing excellent work. The welfare officers have been appointed in each prison at Ambala, Hisar, Rohtak, Karnal, Gurgaon and Borstal Jail at Hisar. They help the prisoners in improving upon their personal behavior and prisoners were given training in industries and agricultural practices according to their choice.

Financial Commissioner & Principal Secretary
to Govt. Haryana Jails Department.

Sl. No.		Name of Jails		2007-08	2008-09
1.		C.I. Ambala		1581411-00	1289033-00
2.		C.I. Hisar		1380243-00	1051020-00
3.		B.I. Karnal		43042-00	19448-00
4.		D.I. Rohtak		103845-00	1302372-00
5.		D.I. Gurgaon		58114-00	363500-00
6.		D.I. Hisar		233558-00	202103-00
7.		D.I. Karnal		5003-00	48120-00
8.		D.I. Rohtak		1305720-00	1650001-00
9.		D.I. Gurgaon		103845-00	1302372-00
10.		Total		1014221-00	6521508-00

(v)

CRITIQUE

By the end of the year i.e. 31.03.09 there was a provision for accommodation of 10482 prisoners in Haryana, where as the average number of prisoners in the year was 13196. During this year the number of prisoners in all Central District Jails & Borstal Jails was more than the accommodation capacity.

2. In the year 2008-09, no prisoner escaped from the Jails of Haryana and no was recaptured. There were 39 case of turmoil in all jails of the state. No prisoner was reported to have resorted to hunger strike during the year. There was no case of attack during the year

3. In the year 2008-09 goods worth Rs. 62,51,298/- were produced in the industries being run in the jails as against production worth Rs. 70,13,531/- during the year 2007-08. In the year 2008-09, 47 life term prisoners were released prematurely. Keeping in view the welfare and family circumstances of the prisoners 3370 prisoners were released on parole/ furlough.

Financial Commissioner & Principal Secretary
to Govt. Haryana Jails Department.

हरियाणा जेल विभाग की वर्ष 2008-09 की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

वर्ष 2008-09 में निम्नलिखित संस्थाएँ हरियाणा राज्य के जेल विभाग के अधीन कार्यरत रहीं :

1. केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार 02
2. जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुडगांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल व कैथल। 11
3. बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल जेल, हिसार 01
4. उप जेल, पलवल, पानीपत, बल्लबगढ़ तथा जगाधरी। 04
5. जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल। 01
6. जिला परीक्षा अधिकारी, सिरसा, भिवानी, करनाल, गुडगांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार। 08

कुल जोड़ 27

2. राज्य की सभी जेलों तथा ज्यूडिशियल लोकअप में सभी श्रेणियों के बन्दियों की संख्या 01.04.2008 को 13193 रही। वर्ष के दौरान 68469 बन्दी दाखिल हुए। बन्दियों की वर्ष भर औसत संख्या 223.73 रहीं। वर्ष के अन्त में शेष बन्दी 14149 रहे। सिद्ध दोषियों की संख्या ज्यूडिशियल लोकअप में रहने वालों के अतिरिक्त 01.04.2008 को 4922 थी। वर्ष भर में 7903 सिद्धदोषी न्यायलयों से सजा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदल कर हरियाणा की जेलों में दाखिल किये गये। वर्ष के दौरान 7384 बन्दी रिहा किये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में कुल 5441 सिद्ध दोषी जेलों में रह गये। सिद्ध दोषियों की दैनिक औसत तथा अधिकतम संख्या क्रमशः 35.14 तथा 5185 थी। दिनांक 01.04.2008 को उच्च श्रेणी के दोषियों की संख्या 38 रही तथा वर्ष के दौरान 23 बन्दी दाखिल हुए और 21 छोड़े गये और वर्ष के अन्त में संख्या 40 थी। जुमाना के तहत कैद हुये दोषियों की संख्या 01.04.2008 को 68 थी और वर्ष के दौरान 904 दाखिल हुए और 940 छोड़े गये। वर्ष के अन्त में 32 बन्दी शेष रह गये।

विचाराधीन बन्दियों की संख्या 01.04.2008 को 8271 थी। वर्ष भर में 60566 विचाराधीन बन्दी दाखिल हुये, ऐसे बन्दियों की दैनिक औसत 188.59 तथा 8011 थी। कुल

68837 विचाराधीन बन्धियों में से 60129 को छोड़ दिया गया और वर्ष के अन्तिम दिन 8708 विचाराधीन बन्दी शेष रहे। 189 बन्धियों को अन्य जेलों पर बदला गया। पूरे वर्ष के दौरान 31 बन्धियों की मृत्यु हुई। विचाराधीन बन्धियों को औसतन 46 दिन जेल में रहना पड़ा।

हरियाणा की जेलों में दिनांक 01.04.08 को स्त्री बन्धियों की संख्या 483 थी। 2340 स्त्री बन्दी जेलों में सीधे या दूसरे राज्यों की जेलों से बदल कर आये तथा बन्धियों को मुक्त किया या दूसरे राज्यों की जेलों में भेजा गया और वर्ष के अन्त में स्त्री बन्धियों की संख्या 540 थी। दिनांक 01.04.2008 को जेलों में स्त्री बन्धियों के साथ 80 बच्चे थे और वर्ष भर में जेलों में 6 बच्चे पैदा हुए और 203 बच्चे स्त्री बन्धियों के साथ जेलों में आये और 236 बच्चों को स्त्री बन्धियों के साथ छोड़ा गया। वर्ष के अन्त में कुल 53 बच्चे स्त्री बन्धियों के साथ रह गये।

3. बन्धियों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में वर्ष भर में 50,07,92,384/- रुपये खर्च किये गये थे। इस प्रकार प्रति व्यक्ति औसतन खर्च 37,950/- रुपये हुआ। (103 रुपये 97 पैसे प्रति बन्दी प्रति दिन)

4. बन्धियों का स्वास्थ्य 2008-09 वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा तथा जेलों में सफाई आदि का ध्यान रखा गया, तपेदिक रोगियों को स्पेशल वार्ड में रखा गया तथा उनके लिये उचित चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया, जेलों में सामान्य स्वच्छता में सुधार हेतु बन्धियों के लिये भूमिगत सीवरेज तथा शौचालयों का प्रबन्ध किया हुआ है। बीमारियों से बचने के लिये विभिन्न साधन जुटाये गये व सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। इसके अतिरिक्त बन्धियों की बैरकों तथा अन्य रहने के स्थान में बिजली के पंखे लगाये हुए हैं। इन सुविधाओं के पर्याप्त मात्रा में होने से बन्धियों को ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु में काफी राहत मिली है। वर्ष के दौरान जेलों में अनुशासन का स्तर सन्तोषजनक रहा जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से किया गया है:-

- क) झगड़े के मामले - वर्ष भर में राज्य की सभी जेलों पर 39 उपद्रव हुए हैं।
 ख) भूख हड़ताल - वर्ष 2008-09 में हरियाणा की जेलों में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल नहीं की।
 ग) फरारी - वर्ष 2008-09 में हरियाणा की जेलों से कोई बन्दी फरार नहीं हुआ और ना ही कोई बन्दी पकड़ा गया।
 घ) आक्रमण - वर्ष 2008-09 में बन्धियों पर कोई आक्रमण नहीं हुआ।

ड) अपराध - वर्ष 2008-09 में अपराधों की कुल संख्या 1537 थी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

	2007-08	2008-09
1. कुल अपराध जिसके लिए बन्धियों को अदालत में भेजा गया।	1666	1537
2. मुख्य अपराध	187	473
3. लघु अपराध	1479	1064
कुल अपराध	1666	1537

47 आजीवन कारावास बन्धियों को समय से पूर्व रिहा किया गया तथा 3370 बन्धियों को पेराल/फलों पर रिहा किया गया। बन्धियों को उनके रिश्तेदारों तथा दोस्तों द्वारा मुलाकात करने बारे वित्तीय तथा शारीरिक कठिनाईयों का समाना करना पड़ता है जो ध्यान में रखते हुये बन्धियों को जहां तक संभव हो सके उनके घर के नजदीक की जेलों में रखा जाता है। जिन बन्धियों ने उत्कृष्ट कार्य किया और जिनका आचरण सन्तोषजनक था उन्हें विशेष छूट दी गई।

5. मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिये धार्मिक विषयों पर प्रवचन दिलवाने का प्रबन्ध करवाया गया। प्रातः व सांय काल की प्रार्थना सभाओं, रेडियों, अन्दर तथा बाहर की क्रीडाओं के अतिरिक्त योगाभ्यास का प्रबन्ध भी किया गया। 952 व्याख्यान, 48 झ्रामें और 143 रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किये गये। बन्धियों के मनोरंजन के लिये सभी जेलों में एक-एक टेलीविजन भी लगाये हुये हैं।

6. निम्नलिखित जेलों में तैयार किये गये माल के मूल्य का ब्यौरा दिखाया गया है:-

क्रम संख्या	जेलों का नाम	वर्ष 2007-08 में हुआ उत्पादन	वर्ष 2008-09 में हुआ उत्पादन
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	2281411.00	1888033.00
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	1779543.00	1021050.00
3.	बच्चा जेल हिसार	43648.00	36578.00
4.	जिला जेल रोहतक	763842.00	1368333.00

(x)

5. जिला जेल करनाल	1302750.00	1020091.00
6. जिला जेल, नारनौल	27997.00	48750.00
7. जिला जेल भिवानी	527226.00	505167.00
8. जिला जेल गुडगांव	287114.00	363296.00
कुल जोड़	7013531.00	6251298

7. जेल ट्रेनिंग स्कूल हिसार में 2008-09 में 274 सहायक अधीक्षक / उप सहायक अधीक्षक / हैड वार्डरज तथा वार्डरज को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2008-09 में 215 अधिकारियों / कर्मचारियों को अलग-अलग संस्थानों से प्रशिक्षण दिया गया।

8. बन्दियों को उचित मूल्यों पर जेलों की कैन्टीनों में दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खरीद की सुविधा दी गई है, जैसे चीनी, चाय, गुड़, घी, साबुन, तेल इत्यादि। ये कैन्टीन केंद्रीय कारागारों, जिला कारागारों, बोस्टल संस्था तथा बच्चा जेल में तथा उप-कारागारों में हैं।

9. इस सुविधा से निषेध वस्तुओं को जेलों में ले जाने की मात्रा में कमी आई। भिन्न भिन्न जेलों में नियुक्त की गई बन्दियों की पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया। जिन जिन बन्दियों ने उत्तम काम किया उन्हें विशेष छुट दी गई। अम्बाला, हिसार, रोहतक, करनाल, गुडगांव तथा बच्चा जेल हिसार की कारागारों में एक-एक कल्याण अधिकारी नियुक्त हैं जिन्होंने बन्दियों का निजि व्यवहार सुधारने में उनकी सहायता की, बन्दियों की रूचि के अनुसार उद्योग, आधुनिक कृषि कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया।

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
जेल विभाग, हरियाणा।

(xi)

समालोचना

वर्ष 31-03-2009 के अन्त तक हरियाणा में 10482 बन्दियों को रखने का प्रबन्ध था जबकि बन्दियों की औसत संख्या 13196 थी। इस वर्ष सभी केंद्रीय जेलों / जिला जेलों व बच्चा जेल हिसार में अपराधियों की संख्या अधिकृत स्थान से अधिक थी।

2. वर्ष 2008-09 में जेलों से कोई बन्दी फरार नहीं हुआ और ना ही कोई बन्दी पकड़ा गया। पूरे वर्ष राज्य की सभी जेलों में 39 झगड़े के मामले हुए। वर्ष भर में कोई आक्रमण हुआ पूरे वर्ष में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल भी नहीं की।

3. वर्ष 2008-09 में रुपये 62,51,298/- की लागत का माल जेलों की उद्योगशालाओं में तैयार किया गया जबकि वर्ष 2007-08 में 70,13,531/- रुपये का माल तैयार हुआ था। वर्ष 2008-09 के दौरान 47 बन्दियों को उनकी सजा की रिहाई की शर्तों के पूर्ण करने उपरान्त समय से पूर्व रिहा किया गया। बन्दियों को भलाई तथा पारिवारिक हित को ध्यान में रखते हुए 3370 बन्दियों को पैरोल / फलों पर छोड़ा गया।

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
जेल विभाग, चण्डीगढ़।

हरियाणा जेल विभाग की वर्ष 2008-09 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय-1

1. प्रस्तावना

जेल विभाग का 1.4.2008 से 31.3.2009 तक का कार्यभार निम्नलिखित के पास रहा :-

1. डॉ० जोन वी० जोर्ज, आई०पी०एस०
महानिदेशक कारागार हरियाणा
०१.०४.२००८ से ३१.०३.२००९

निम्नलिखित अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उनकी सहायता की :-

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | श्री एम० एस० मान, आई०पी०एस०
महानिरीक्षक कारागार | ०१.०४.२००८ से ०८.०८.२००८ |
| 2. | श्री आर०सी० जोवल, आई०पी०एस०
महानिरीक्षक कारागार | ११.०८.२००८ से ३१.०३.२००९ |
| 3. | श्री राय सिंह, एच०पी०एस० १
मुख्य परीक्षा अधिकारी | १०.०४.२००८ से ३१.०३.२००९ |
| 4. | श्री के० के० बंसल,
मुख्य लेखा अधिकारी | २६.११.२००८ से ३१.०१.२००९ |
| 5. | श्री सतबीर शर्मा,
लेखा अधिकारी | ०१.०४.२००८ से ०५.०८.२००८ |
| 6. | श्री कर्म चन्द सेणी,
लेखा अधिकारी | ०१.०८.२००८ से ३१.०३.२००९ |
| 7. | श्री जसविन्द्र सिंह गिल,
सहायक जिला न्यायाधीश | ०१.०४.२००८ से ३१.०३.२००९ |
| 8. | श्री बृज बिहारी, अधीक्षक | ०१.०४.२००८ से ३१.०३.२००९ |
| 9. | श्री ललित कुमार,
अनुभाग अधिकारी | ०१.०४.२००८ से ३१.०३.२००९ |

2. संस्थायें

जेल विभाग के अधीन निम्नलिखित संस्थायें हैं :-

1. केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार	02
2. जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुडगांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल व कैथल।	11
3. बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल जेल, हिसार	01
4. उप जेल, पलवल, पानीपत, बल्लभगढ़ तथा जगाधरी।	04
5. जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल	01
6. जिला परिवीक्षा अधिकारी, सिरसा, भिवानी, करनाल, गुडगांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार।	08

कुल जोड़

27

3. बन्दियों में अनुशासन व उनका आचरण

कुल मिलाकर बन्दियों में अनुशासन का स्तर ऊँचा रहा। यह बात निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध होती है :-

क) उपद्रव	- वर्ष भर में राज्य की सभी जेलों पर 39 उपद्रव हुए।
ख) भूख हड़ताल	- वर्ष 2008-09 में हरियाणा की जेलों में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल नहीं की।
ग) फरारी	- वर्ष 2008-09 में हरियाणा की जेलों से कोई बन्दी फरार नहीं हुआ और ना ही कोई बन्दी पकड़ा गया।
घ) आक्रमण	- वर्ष 2008-09 में बन्दियों पर कोई आक्रमण नहीं हुआ।
ङ) अपराध	- वर्ष 2008-09 में अपराधों की कुल संख्या 1537 थी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

	2007-08	2008-09
1. कुल अपराध जिसके लिए बन्दियों को अदालत में भेजा गया।	1666	1537
2. मुख्य अपराध	187	473
3. लघु अपराध	1479	1064
कुल अपराध	1666	1537

4. सुधार तथा सुविधायें

वर्ष 2008-09 में बहुत सी जेलों में किए गए सुधार तथा सुविधाएं संतोषजनक रही हैं। बन्दियों के साथ अच्छा तथा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया गया जिसका उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

क. पैरोल/फरलो

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बन्दियों को निजी तथा जरूरी कार्यों के लिए पैरोल/फरलो लेने के लिए देशी न हो तथा कष्ट उठाना पड़े, इस प्रणाली का बहुत हद तक सुधार किया गया है। अब केवल पहली छुट्टी के लिए ही पुलिस की रिपोर्ट ली जाती है। इसके पश्चात केवल जिलाधीश से विचार-विमर्श किया जाता है। पैरोल/फरलो स्वीकृत करने की शक्तियां सरकार की नोटिफिकेशन दिनांक 30.7.2007 के अनुसार मण्डल आयुक्त एवं उपायुक्त को प्रदान कर दी गई हैं।

ख. समय पूर्व रिहाई

हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे पुरानी नीति को अपने यादी क्रमांक 46/23/2000-4जेजे-11 दिनांक 12.04.02 द्वारा संशोधित किया है। नई नीति के अनुसार अनेक आजीवन कारावास बन्दियों के समय पूर्व रिहाई के केंसों पर उन द्वारा हवालात अवधी सहित 10 वर्ष का मूलदण्ड काटना तथा कम से कम 4 वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता है। जिन बन्दियों द्वारा जघन्य/घिनौना अपराध किया है तथा जिन बन्दियों की मृत्यु दण्ड की सजा को माननीय राष्ट्रपति महोदय/माननीय राज्यपाल द्वारा करुणा याचिका पर आजीवन कारावास में बदला गया है, के समय पूर्व रिहाई के केंसों पर उन द्वारा हवालात अवधी सहित 14 वर्ष का मूलदण्ड काटने तथा कम से कम छः वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता है। हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे पुरानी नीति दिनांक 12.04.02 को अपने यादी क्रमांक 36/135/91-1जेजे-11 दिनांक 13.08.08 द्वारा नई नीति का निर्धारण किया है। नई नीति के अनुसार वर्ष 2008-09 में 47 आजीवन कारावास बन्दियों को उनके अच्छे आचरण आदि के कारण समय पूर्व रिहा किया गया है।

ग. बन्दियों की बदली

बन्दियों के रिश्तेदारों तथा दोस्तों को मुलाकात करने बारे वित्ति तथा सामाजिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसको ध्यान में रखते हुए अब बन्दियों को जहां

तक सम्भव हो उनके घर के नजदीक जेलों में रखा जाता है, ताकि उनके घरवाले तथा दोस्त बन्धियों से आसानी से मिल सकें।

घ. कैन्टीन

केन्द्रीय जेल अम्बाला/हिसार तथा जिला जेलों तथा बोस्टल जेल में बन्धियों के लिए कैन्टीन चालू हैं। बदीगण वहां से उचित दामों पर प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं जैसे चीनी, घी, चाय, गुड़ आदि खरीद सकते हैं। इस सुविधा से जेलों में बिना अधिकार प्राप्त होने वाली वस्तुओं की संख्या पर पूरा नियन्त्रण रहा है।

ङ पंचायतें

भिन्न-2 कारागारों में बन्धियों द्वारा नियुक्त की गई पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग दिया।

च छूट

जिन बन्धियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है तथा जिनका आचरण संतोषजनक पाया गया उन्हें विशेष छूट दी गई।

छ पंखें

बन्धियों को बैरकों में पंखें लगवा दिए हैं ताकि गर्मी के मौसम में उन्हें आराम मिल सके। हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर यह सुविधा प्रदान कर रखी है।

ज फलश टाईप शौचालय

सभी जेलों पर फलश टाईप शौचालयों का प्रबन्ध किया गया है जिनके गन्दे पानी का निकास जमीन के अन्दर है।

झ बन्धियों का मनोरंजन

बन्धियों के मनोरंजन के लिए जेलों में रेडियो/टेलिविजन सैट लगवा दिए गए हैं। जिनसे दूरदर्शन के कार्यक्रम ठीक प्रकार से देखे जा सकते हैं।

5. भौतिक तथा नैतिक शिक्षा का सांस्कृतिक कार्यक्रम

भौतिक तथा नैतिक सुधार के लिए भिन्न-2 कारागारों में कई प्रकार के कार्यों व्यवस्था की गई है। इसमें भीतर तथा बाहर क्रीड़ा, सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक विषयों पर व्याख्यान, प्रातः तथा सांय की प्रार्थना सभाएं, रेडियों प्रोग्राम भी करते हैं। प्रति दिन

टेलिविजन शो भी दिखाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जेल अधिकारियों और पब्लिक द्वारा 952 व्याख्यान, 48 ड्रामों तथा 143 रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किये गये।

6. कल्याण सेवायें

अम्बाला, हिसार, रोहतक, करनाल, गुडगांव तथा बच्चा जेल हिसार की जेलों में एक-एक कल्याण अधिकारी नियुक्त है। इन अधिकारियों ने बन्धियों को नए वातावरण में समायोजित करने का प्रयत्न किया। इन्होंने बन्धियों के निजी व्यवहार और मुश्किलों को हल करने में सहायता की। इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने नए आने वाले बन्धियों से अनुस्थापन बात-चीत की। इस प्रकार छूट/दोड़ जाने वाले बन्धियों से भी सम्पर्क पैदा किया जिससे यदि किसी व्याक्ति की रिहाई के बाद पुनर्वास में किसी प्रकार की सहायता अथवा निर्देशन की आवश्यकता हो तो उसे सहायता दिए जाने बारे भी प्रावधान किए जाने की व्यवस्था की गई।

उद्योग

अध्याय-2

1. वित्त वर्ष 2008-09 में बन्दियों को फैक्टरी में काम पर लगाए जाने की संख्या 709 थी।
2. वित्त वर्ष 2008-09 में कुल उत्पादन घन राशि 62,51,298/- रुपये का हुआ। इससे पूर्व 2007-08 में कुल उत्पादन घन राशि 70,13,531/- रुपये था जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 7,62,233/- रुपये कम हुआ।
3. अलग-2 जेलों का उत्पादन निम्न सारणी में वर्ष 2008-09 में हुए उत्पादन की संख्या भी दी जाती है :-

क्रम संख्या	जेलों का नाम	वर्ष 2007-08 में हुआ उत्पादन	वर्ष 2008-09 में हुआ उत्पादन
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	2281411.00	1888033.00
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	1779543.00	1021050.00
3.	बच्चा जेल हिसार	43648.00	36578.00
4.	जिला जेल रोहतक	763842.00	1368333.00
5.	जिला जेल करनाल	1302750.00	1020091.00
6.	जिला जेल, नारनौल	27997.00	48750.00
7.	जिला जेल भिवानी	527226.00	505167.00
8.	जिला जेल गुडगांव	287114.00	363296.00
कुल जोड़		7013531.00	6251298.00

4. वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में प्रति व्यक्ति उत्पादन का तुलनात्मक ब्यौरा नीचे दिया जाता है। उसमें विभिन्न जेल उद्योगों में लगाए गए व्यक्ति की औसत संख्या, प्रति व्यक्ति उत्पादन दिया गया है जिससे पता चलता है कि कितनी प्रगति हुई :-

क्रम संख्या	जेलों का नाम	वर्ष 2007-2008 में बन्दियों की संख्या	वर्ष 2007-2008 में प्रति बन्दी उत्पादन	वर्ष 2008-09 में प्रति दिन बन्दी की संख्या	वर्ष 2008-09 में प्रति बन्दी उत्पादन
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	18	625	44	42910
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	159	821	151	6762
3.	बच्चा जेल, हिसार	20	2182	18	2032
4.	जिला जेल, रोहतक	27	384	25	54733
5.	जिला जेल, करनाल	258	1136	422	2417
6.	जिला जेल, नारनौल	30	933	15	3250
7.	जिला जेल, भिवानी	37	396	16	31573
8.	जिला जेल, गुडगांव	551	393	18	20183
कुल जोड़		551	6870	709	1,63,880

5. निम्नलिखित विवरण रिपोर्ट में वर्ष 2008-09 में तथा इससे पूर्व वर्ष 2007-08 तक निम्नलिखित जेलों में जेल विभाग में बिक्री का ब्यौरा :-

क्रम सं०	जेलों का नाम	वर्ष 2007-2008 में हुई बिक्री	वर्ष 2008-09 में हुई बिक्री
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	2530966.00	1344377.00
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	1052953.00	342374.00
3.	बच्चा जेल, हिसार	30306.00	73101.00
4.	जिला जेल, रोहतक	640964.00	345847.00
5.	जिला जेल, करनाल	412584.00	1019630.00
6.	जिला जेल, गुडगांव	77794.00	363296.00
7.	जिला जेल, भिवानी	260887.00	570338.00
8.	जिला जेल, नारनौल		10800.00
कुल जोड़		5006454.00	40,69,763.00

जेल विभाग, दूसरे सरकारी विभागों तथा प्राइवेट व्यक्तियों से की गई बिक्री का
 ब्यौरा:—

क्रम सं०	वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09
1.	जेल विभाग से की गई ब्रिकी	4069763.00
2.	दूसरे सरकारी विभागों से की गई ब्रिकी	2211139.00
3.	प्राईवेट विभागों से की गई ब्रिकी	86415.00
	कुल जोड़	6367317.00

क्रम	जेल का नाम	सरकारी विभागों से की गई बिक्री	जेल विभाग से की गई बिक्री	प्राइवेट विभाग
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	836161.00	1344377.00	शून्य
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	641155.00	342374.00	27135.00
3.	बच्चा जेल, हिसार	शून्य	73101.00	शून्य
4.	जिला जेल, रोहतक	175861.00	345847.00	शून्य
5.	जिला जेल, करनाल	100322.00	1019630.00	शून्य
6.	जिला जेल, नारनौल	शून्य	10800.00	शून्य
7.	जिला जेल, भिवानी	153624.00	570338.00	शून्य
8.	जिला जेल, गुडगांव	304016.00	363296.00	59280
	कुल जोड़	2211139.00	4069763.00	86415.00

6. निम्नलिखित विवरण रिपोर्ट में वर्ष 2008-09 तथा इससे पूर्व वर्ष 2007-08 में निम्न जेलों द्वारा वसली का ब्यौरा:-

क्रम सं०	जेलों का नाम	वर्ष 2007-2008 में हुई वसूली	वर्ष 2008-09 में हुई वसूली
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	1851130.00	465867.00
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	1781986.00	1955713.00
3.	बच्चा जेल, हिसार	20431.00	73101.00
4.	जिला जेल, रोहतक	824059.00	521708.00
5.	जिला जेल, करनाल	840246.00	1140343.00
6.	जिला जेल, गुडगांव	1856.00	41175.00
7.	जिला जेल, भिवानी	590576.00	723962.00
8.	जिला जेल, महेंद्रगढ़	110142.00	...
9.	जिला जेल, नारनौल	1030.00	10100.00
	कुल जोड़	6021446.00	4938049

सप्लाई किया जाता है।

7. कृषि फार्म

वित्त वर्ष 2008-2009 में जेल कृषि फार्म पर कुल खर्चा रुपये 1827379.00 किया गया तथा कृषि फार्म से कुल उत्पादन रुपये 6351949.00 का हुआ। इस प्रकार कृषि फार्म से वर्ष भर में कुल आय रुपये 4524570.00 हुई। जिस का विवरण निम्नप्रकार से है :-

क्रम	जेल का नाम	कुल खर्चा रुपये में	कुल उत्पादन रुपये में	कुल आय रुपये में
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	45195.00	416487.00	371292.00
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	49358.00	136303.00	86945.00
3.	जिला जेल, रोहतक	40912.00	259445.00	218533.00
4.	जिला जेल, करनाल	1015523.00	3898995.00	2883472.00
5.	जिला जेल, भिवानी	217737.00	551555.00	333818.00
6.	जिला जेल, सोनीपत	147668.00	495684.00	348016.00
7.	जिला जेल, जीन्द	227384.00	593480.00	366096.00
8.	जिला जेल, सिरसा	83602.00		-86602.00
	कुल जोड़	1827379.00	6351949.00	4524570.00

8. कपड़ा

हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों के लिए कपड़े की मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय जेल अम्बाला में एक पावरलूम (हैवी ड्यूटी) स्थापित है जो कि संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। जिला जेल भिवानी पर भी दो पावर लूम स्थापित हैं जिन पर बन्दियों हेतु कपड़ा बनाया जा रहा है। बोस्टल जेल हिसार तथा भिवानी जेलों पर हथकरघा से भी कपड़ा बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मशीनों के झांडन/बस्ताज/कार्यालय के लिए पर्दे/तौलिये/हस्पताल के लिए बिस्तरे भी बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार बन्दियों के लिए इन मशीनों से उपरोक्त वस्तुओं की मांग सूचारू रूप से पूरी की जा रही है।

केन्द्रीय जेल, अम्बाला के बन्दियों को तथा बोस्टल जेल, हिसार के बन्दियों को विशेष रूप से स्त्री बन्दियों को जूराबें बुनने की ट्रेनिंग देने हेतु दोनों जेलों पर सोक्स निटिंग मशीनों की स्थापना हो चुकी है। अतः इन बन्दियों को ट्रेनिंग देने के लिए फिलहाल जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से इन्सट्रक्टर नियुक्त करवाये जा रहे हैं और इस प्रकार बन्दियों को जूराबें बुनने की ट्रेनिंग तो दी ही जायेगी। इससे विभाग के वार्डर गार्ड की जुराबों की मांग को पूरा होने के साथ-साथ पुलिस विभाग/गृह रक्षी विभाग तथा हरियाणा राज्य के अन्य विभागों की जुराबों की मांग को पूरा किया जा सकेगा।

इस प्रकार जहां बन्दी अपनी सजा काटते हुए विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग लेकर पूरी तरह पारंगत होकर जेल से बाहर जायेंगे, वहां ये आत्म निर्भर बनकर समाज के अन्दर एक अच्छा जीवन जी सकने योग्य बन जायेंगे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

अध्याय-3

(विशेष संस्थायें)

1. जेल ट्रेनिंग स्कूल करनाल

करनाल स्थित जेल ट्रेनिंग स्कूल में हरियाणा जेल विभाग तथा राज्यों के कर्मचारियों/अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध है। इस स्कूल में वार्डर तथा हैड वार्डरों, उप सहायक अधीक्षक के साथ-2 अधीक्षक, उप अधीक्षक के स्तर तक के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध है। इस सम्बन्ध में जेल मैनुअल कारागार, प्रशासन, कानून, क्रिमिनोलोजी, साईकोलोजी, शारीरिक प्रशिक्षण, मिलिट्री ड्रिल, तथा कैदियों के सुधार तथा उद्योग-धन्धों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध है। प्रशिक्षण के साथ-2 जेल के प्रशासन में जेल के कैदियों में सुधार के साथ-2 अभ्यस्थ और खतरनाक कैदियों के सुधार की ओर ध्यान दिया जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी अधिक कुशलता से निभा सकें, उन्हें निम्नलिखित ट्रेनिंग शिविरों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था :-

Annual Training Report for the Year 2008-09

Sr. No. of Officer/Officials	Name and Designation	Name of the Central/District/ Sub.Teh.	Period of Training	Subject of Training
1	2	3	4	5
1.	Jai Dev Bishnoi, Supdt.	Borsial Jail Hisar	26.03.08 to 01.04.08	119th course on criminology
2.	Navneet Suri, Clerk	Head Office		Developing effective communication skill through noting/drafting
3.	Hukam Chand, Assistant	Head Office	07.04.08 to 11.04.08	Office automation tools MS-Word
4.	Davi Diyal, Dy. Supdt.		15.04.08 to 17.04.08	Second Seminar on Sentencing Police
5.	Rattan Singh, Dy. Supdt.	Sonepat	16.04.08	RTI Act/Training at HIPA at Gurgaon

1	2	3	4	5
6.	Raj Kumar, Dy. Supdt.	Palwal	16.04.08	RTI Act/Training at HIPA at Gurgaon
7.	Atma Ram, Dy. Supdt.	Jagadhri	16.04.08	RTI Act/Training at HIPA at Gurgaon
8.	Sher Singh, Dy. Supdt.	Ambala	07.04.08 to 17.04.08	Account Training at HIPA for DDO 48th Course
9.	Sukhram Bishnoi, Dy. Supdt.	Karnal	07.04.08 to 17.04.08	Account Training at HIPA for DDO 48th Course
10.	Rameshwar Dass, Assisstant	Head Office	21.04.08 to 25.04.08	Duty and function of Clerk
11.	Kishori Lal, Clerk	Head Office	21.04.08 to 25.04.08	Duty and function of Clerk
12.	Vishal Joon, Warder		21.04.08	Web hosting tech. at HIPA, Gurgaon
13.	Kr. Anupama, Assisstant	Head Office	24.04.08	Financial management in Govt. Deptt.
14.	Harinder Singh, Dy. Supdt.	Kaithal	02.05.08	Training of RTI Act, 2005 at HIPA, Gurgaon
15.	Sunit Sangwan, Dy. Supdt.	Sonepat	02.05.08	Training of RTI Act, 2005 at HIPA, Gurgaon
16.	Sanjay Singh, Dy. Supdt.	Narnaul	02.05.08	Training of RTI Act, 2005 at HIPA, Gurgaon
17.	Tej Singh, Dy. Supdt.		05.05.08	Prison as instrument of social change
18.	Deepak Sharma, Dy. Supdt.	Kurukshetra	06.05.08	RTI Act/Training at HIPA at Gurgaon
19.	Inderjeet, Clerk	Kaithal	12.05.08 to 16.05.08	Pension and service matters
20.	Vishal Chhibbar, Supdt.	Ambala	20.05.08 to 22.05.08	Three days training for personality development programme of prisons officers at Lakhnow
21.	Lok Ram Asstt. Supdt.	Hisar	20.05.08 to 22.05.08	Three days training for personality development programme of prisons officers at Lakhnow

2.	3	4	5
Munish Kumar, Asstt.	Head Office	22.05.08 to 23.05.08	Punishment and appeal rule
Devender Kumar, Asstt.	Head Office	26.05.08 to 30.05.08	Office automation tools MS-Word
Devi Dayal, Asstt. Supdt.	Karnal	02.06.08 to 30.05.08	Emergency challenges for criminal justice system
Shahid Hussain, Dy. Supdt.		02.06.08 to 06.06.08	27th course on prevention and contract of drug
Om Parkash, Clerk	Head Office	03.06.08	Workshop on documentation
J.S. Gill, ADA	Head Office	09.06.08 to 13.06.08	Basic IT training course at Sichai Bhawan, Panchkula
Pankaj Ojha, Asstt.	Head Office	09.06.08 to 13.06.08	Basic IT training course at Sichai Bhawan, Panchkula
Manjit Singh, Clerk	Head Office	09.06.08 to 13.06.08	Basic IT training course at Sichai Bhawan, Panchkula
Pushkar Raj, Dy. Supdt. (O)	Hisar	09.06.08 to 13.06.08	Basic IT training course at Sichai Bhawan, Panchkula
Ravinder Singh, Asstt.	Hisar	09.06.08 to 13.06.08	Basic IT training course at Sichai Bhawan, Panchkula
Phool Kumar, Clerk	Ambala	09.06.08 to 13.06.08	Basic IT training course at Sichai Bhawan, Panchkula
Nitin Dalal, Clerk	Rohtak	09.06.08 to 13.06.08	Basic IT training course at Sichai Bhawan, Panchkula
Sukhbir Singh, Accountant	Jind	09.06.08 to 13.06.08	Basic IT training course at Sichai Bhawan, Panchkula
Ram Niwas, Accountant	Bortal Jail Hisar	09.06.08 to 13.06.08	Basic IT training course at Sichai Bhawan, Panchkula

1	2	3	4	5
36. Kuldeep Singh, Clerk	Jind	09.06.08 to 13.06.08	Basic IT training course at Sichai Bhawan, Panchkula	
37. Som Nath, Dy. Supdt.	Karnal	09.06.08 to 13.06.08	71st course of management of Anti Social and Criminal behaviour	
38. Mohan Singh, Clerk	Gurgaon	10.06.08 to 11.06.08	Computer training	
39. Amit Kumar Bhadu,	Karnal	16.06.08 to on words	Computer training at Reliance web word	
40. Shaikh Husain, Dy. Supdt.	Gurgaon	16.06.08 to on words	Computer training at Reliance web word	
41. SEwa Singh, Asstt. Supdt.	Rohatak	16.06.08 to on words	Computer training at Reliance web word	
42. Ashok Kumar, Supdt.	Sonepat	16.06.08 to on words	Computer training at Reliance web word	
43. Subhash Chand, Dy. Supdt.		16.06.08 to on words	Computer training at Reliance web word	
44. Mange Ram, Warder	Sonepat	16.06.08 to on words	Computer training at Reliance web word	
45. Rajesh, Warder	Sonepat	16.06.08 to on words	Computer training at Reliance web word	
46. Kuldeep Singh, Warder	Sonepat	16.06.08 to on words	Computer training at Reliance web word	
47. Anil, Warder	Sonepat	16.06.08 to on words	Computer training at Reliance web word	
48. Jitender, Warder	Sonepat	16.06.08 to on words	Computer training at Reliance web word	

1	2	3	4	5
49. Kurambir, Warder	Sonipat	16.06.08 to on words	Computer training at Reliance web word	
50. Pardeep, Warder	Sonipat	16.06.08 to on words	Computer training at Reliance web word	
51. Amir Chand, Warder	Sonipat	16.06.08 to on words	Computer training at Reliance web word	
52. Puspaa, Female Warder	Sonipat	16.06.08 to on words	Computer training at Reliance web word	
53. Devender Pal Singh, Warder	Sonipat	16.06.08 to 30.6.08	Computer training at Reliance web word	
54. Gulab Singh, Warder	Panipat	16.06.08 to 30.6.08	Computer training at Reliance web word	
55. Sunil Kumar, Warder	Panipat	16.06.08 to 30.6.08	Computer training at Reliance web word	
56. Lal Chande, Warder	Panipat	16.06.08 to 30.6.08	Computer training at Reliance web word	
57. Suman Devi, Warder	Panipat	16.06.08 to 30.6.08	Computer training at Reliance web word	
58. Jai Pal, Asstt.	Head Office	19.06.08 to	Orientation training Programme	
59. Sher Singh, Dy. Supdt.	Ambala	20.06.08	RTI Act/Training at HIPA at Gurgaon	
60. Dy. Supdt.	Panipat	20.06.08	RTI Act/Training at HIPA at Gurgaon	
61. Jai Kishan Chhillar, Dy. Supdt.	Gurgaon	20.06.08	RTI Act/Training at HIPA at Gurgaon	
62. Sher Singh, Dy. Supdt.	Ambala	23.06.08 on ward	Computer training at Reliance web word	
63. Vajai Kumar, Asstt.	Ambala	23.06.08 on ward	Computer training at Reliance web word	

1	2	3	4	5
64.	Charanjit Singh	Ambala	23.06.08 on ward	Computer training at Reliance web word
65.	Rajnish, Clerk	Ambala	23.06.08 on ward	Computer training at Reliance web word
66.	Gurdeep Singh	Ambala	23.06.08 on ward	Computer training at Reliance web word
67.	Sunil Kumar, Clerk	Karnal		Computer training at Reliance web word
68.	Suresh Kumar, Warder	Karnal		Computer training at Reliance web word
69.	Kishori Lal, Warder	Karnal		Computer training at Reliance web word
70.	Baljit, Warder	Karnal		Computer training at Reliance web word
71.	Shyamsunder, Warder	Karnal		Computer training at Reliance web word
72.	Dharamjit, Warder	Karnal		Computer training at Reliance web word
73.	Shamsher, Warder	Karnal		Computer training at Reliance web word
74.	Manoj Kumar, Warder	Karnal		Computer training at Reliance web word
75.	Jai Pal, Warder	Karnal		Computer training at Reliance web word
76.	Vikash Yadav, Clerk	Karnal		Computer training at Reliance web word
77.	Rajesh Kumar, Clerk	Sonepat		Computer training at Reliance web word
78.	Surender Singh, Clerk	Sonepat		Computer training at Reliance web word
79.	Himesh	Sonepat		Computer training at Reliance web word
80.	Amir Chand, Warder	Sonepat		Computer training at Reliance web word
81.	Pardeep, Warder	Sonepat		Computer training at Reliance web word
82.	Nishi Rani, Female Warder	Sonepat		Computer training at Reliance web word

2	3	4	5
Rajeev Kumar, Warder	Sonepat		Computer training at Reliance web word
Krishnan Kumar, Clerk		02.07.09 to 11.07.08	Duty and function of Clerk
Sunil Kumar, Clerk	Karnal	02.07.09 to 11.07.08	Duty and function of Clerk
Satish Kumar, Clerk	Ambala	14.07.09 to 18.07.08	Duty and function of Clerk
Ramesh Kumar, Clerk	Hisar	14.07.09 to 18.07.08	Duty and function of Clerk
Rahul Bakshi, Asstt/CT	Head Office	16.07.08 to 17.07.08	Workshop on purchase procedure
Navneet Suri, Clerk	Head Office	21.07.08 to 25.07.08	Administrative efficiency in Govt. Department
Rameshwar Dass, Asstt.	Head Office	21.07.08 to 25.07.08	Administrative efficiency in Govt. Department
Sharwan Kumarm, Dy. Supdt.	Ambala	06.08.09	Welfare scheme for Govt. employee
Krishnan Kumar, Clerk	Head Office		Computer Training
Surinder Goddara, Dy. Supdt.	Hisar	11.08.08	RTI Act/Training at HIPA at Gurgaon
Attna Ram, Dy. Supdt.	Jagadhri	11.08.8	RTI Act/Training at HIPA Gurgaon
Nirda Anand, Asstt.	Head Office	12.08.08 to 13.08.08	Computer Training
Kr. Anupama, Asstt.	Head Office	12.08.08 to 13.08.08	Computer Training
H.R. Mehta, PA	Head Office	18.08.08 to 22.08.08	Oriented training programme

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98.	Jaipal, Asstt.	Head Office	20.08.08	Training of Income tax matter	Mahender Singh, Clerk	Bhiwani	13.10.08 to 17.10.08	Computer Training at Panchkula	
99.	Jaidev Bishnoi, Supdt.	Borsal Jail Hisar	20.08.08 to 26.08.08	32nd Course correctional administration	Inder Singh, Clerk	Kurukshetra	13.10.08 to 17.10.08	Computer Training at Panchkula	
100.	Surender Singh, Clerk	Sonepat	25.08.08 to 29.08.08	Computer training at HIP Gurgaon	Mohamad Azad, Clerk	Jind	13.10.08 to 17.10.08	Computer Training at Panchkula	
101.	Amit Kumar Dahiya, Clerk	Ambala	25.08.08 to 29.08.08	Computer training at HIP Gurgaon	Mahavir Singh, Clerk	Ambala	13.10.08 to 17.10.08	Computer Training at Panchkula	
102.	Naresh Kumar, Warder	Gurgaon	25.08.08 to 29.08.08	Computer training at HIP Gurgaon	Satavir Singh, Clerk	Hisar	13.10.08 to 17.10.08	Computer Training at Panchkula	
103.	J.P. Sethi, Supdt.	Sirsa	26.08.08 to 27.08.08	Training for enquiry office appointed under punishment and appeal rules	Rajesh Kumar, Clerk	Rohtak	13.10.08 to 17.10.08	Computer Training at Panchkula	
104.	Sunil Sangwan, Dy. Supdt.	Hisar	26.08.08 to 27.08.08	Training for enquiry office appointed under punishment and appeal rules	Narender, Clerk	Ambala	13.10.08 to 17.10.08	Computer Training at Panchkula	
105.	Som Nath, Dy. Supdt.	Karnal	26.08.08 to 27.08.08	Training for enquiry office appointed under punishment and appeal rules	Satish Kumar, Clerk	Ambala	13.10.08 to 17.10.08	Computer Training at Panchkula	
106.	Sukhram Bishnoi, Dy. Supdt.	Karnal	26.08.08 to 27.08.08	Training for enquiry office appointed under punishment and appeal rules	Om Parkash, Clerk	Head Office	13.10.08 to 17.10.08	Computer Training at Panchkula	
107.	Lakshbir Singh, Dy. Supdt.	Head Office	15.09.08 to 19.09.08	Appraisal of accounts keeping software	Manjit Singh, Clerk	Head Office	13.10.08 to 17.10.08	Computer Training at Panchkula	
108.	Nitil Dalal, Clerk	Rohtak	15.09.08 to 19.09.08	Appraisal of accounts keeping software	Mohan Singh, Clerk	Gurgaon	17.11.08 to 21.11.08	Computer Training HIPA Gurgaon	
109.	Amit Dahiya, Clerk	Gurgaon	15.09.08 to 19.09.08	Appraisal of accounts keeping software	Pradeep Kumar, Clerk	Bhiwani	17.11.08 to 21.11.08	Computer Training HIPA Gurgaon	
110.	Anil K Umar, DPO	Gurgaon	01.10.08 to 08.10.08	25th Course on victimology in CFS, Rohini, New Delhi	Lakshbir Singh, Sy. Supdt.	Head Office	17.11.08 to 28.11.08	Server side script and web administration at HIPA Gurgaon	
111.	Naresh Kumar, Warder	Head Office	13.10.08 to 08.10.08	Power Point Presentation at HIPA, Gurgaon					

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
125.	Som Nath, Dy. Supdt.	Ambala	27.11.08 to 29.11.08	Personality development of prison officer at Pune	138.	Ashok Kumar, Asstt. Supdt.	Narnaul	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula
126.	Narsh Goel, Asstt.	Karnal	27.11.08 to 29.11.08	Personality development of prison officer at Pune	139.	Satyawan, Asstt.	Rewari	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula
127.	Kr. Anupama, Asstt.	Head Office	08.12.08 to 12.12.08	Appraisal of accounts keeping software	140.	Himla Devi, Asstt. Supdt.	Karnal	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula
128.	Meenakshi, Clerk	Karnal	08.12.08 to 12.12.08	Appraisal of accounts keeping software	141.	Devi Dayal, Asstt. Supdt.	Karnal	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula
129.	Jaswant Singh, Asstt. Supdt.	Ambala	10.12.08 to 12.12.08	Stress management training at Panchkula	142.	Ram Chander, Asstt. Supdt.	Bhiwani	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula
130.	Sube Singh, Asstt. Supdt.	Ambala	10.12.08 to 12.12.08	Stress management training at Panchkula	143.	Ramesh, Asstt. Supdt.	Gurgaon	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula
131.	Lok Ram, Asstt. Supdt.	Hisar	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula	144.	Ram Singh, Asstt. Supdt.	Gurgaon	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula
132.	Kuldeep Singh, Asstt. Supdt.	Hisar	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula	145.	Ram Kishan, Asstt. Supdt.	Panipat	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula
133.	Kuldeep Singh, Asstt. Supdt.	Jind	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula	146.	Om Pall Singh, Asstt. Supdt.	Ambala	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula
134.	Shalaksi Bhardwaj, Asstt. Supdt.	Hisar	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula	147.	Raj Kumar, Asstt. Supdt.	Hisar	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula
135.	Rai Sahib, Asstt. Supdt.	Kurukshetra	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula	148.	Devender Kumar, Asstt. Supdt.	Hisar	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula
136.	Dharambir Singh, Asstt. Supdt.	Sirsa	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula	149.	Harinder Singh, Dy. Supdt.	Kaithal	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula
137.	Dharambir Singh, Asstt. Supdt.	Rohtak	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula	150.	Sanjay Singh, Dy. Supdt.	Narnaul	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula

1	2	3	4	5
151.	Jai Kishan Chhillar, Dy. Supdt.	Gurgaon	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula
152.	Sunil Sangwan, Dy. Supdt.	Sonepat	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula
153.	Surender Godara, Dy. Supdt.	Hisar	10.12.08 to 12.12.08	Stress Management training at Panchkula
154.	Om Parkash, Dy. Supdt.	Hisar	15.12.08 to 24.01.08	Accounts Training at Sinchai Bhawan, Panchkula
155.	Savinder Singh Godara, Dy. Supdt.	Hisar	15.12.08 to 24.01.08	Accounts Training at Sinchai Bhawan, Panchkula
156.	Jai Natayan, Accountant	Hisar	12.01.09 to 23.01.09	22nd course of Tccounts Training
157.	Randhari, Clerk	Hisar	12.01.09 to 23.01.09	22nd course of Tccounts Training
158.	S.K. Chhibbar, Supdt.	Jind	19.01.09 to 23.01.09	120th course on Criminology
159.	Sanjay Singh, Dy. Supdt.	Jhajjar	02.02.09 to 06.02.09	Training of Human Right
160.	Sunil Sangwan, Dy. Supdt.	Faridabad	02.02.09 to 06.02.09	Training of Human Right
161.	Sher Singh, Dy. Supdt.	Ambala	02.02.09 to 06.02.09	Training of Human Right
162.	J.K. Chhillar, Supdt.	Sonepat	09.02.09 to 14.02.09	Vocational Training Programme on information and rehabilitation of prisoners at Tata Institute of Social Science Deonor, Mumbai
163.	Sunil Sangwan, Supdt.	Faridabad	09.02.09 to 14.02.09	Impact of Vocational Programme on the Information and Rehabilitation of Prisoners

1	2	3	4	5
164.	Phool Kumar, Clerk	Ambala	10.02.09 to 13.02.09	Basic IT training course at Sinchai Bhawan, Panchkula
165.	Satish Kumar, Clerk	Ambala	10.02.09 to 13.02.09	Basic IT training course at Sinchai Bhawan, Panchkula
166.	Jagbir, Clerk	Hisar	10.02.09 to 13.02.09	Basic IT training course at Sinchai Bhawan, Panchkula
167.	Mahender Singh, Clerk	Hisar	10.02.09 to 13.02.09	Basic IT training course at Sinchai Bhawan, Panchkula
168.	Prem Kumar, Clerk	Rohtak	10.02.09 to 13.02.09	Basic IT training course at Sinchai Bhawan, Panchkula
169.	Surender Singh Rathi, Clerk	Karnal	10.02.09 to 13.02.09	Basic IT training course at Sinchai Bhawan, Panchkula
170.	Sunil Kumar, Clerk	Sirsa	10.02.09 to 13.02.09	Basic IT training course at Sinchai Bhawan, Panchkula
171.	Azad Mohammad, Clerk	Jind	10.02.09 to 13.02.09	Basic IT training course at Sinchai Bhawan, Panchkula
172.	Shyam Sunder, Clerk	Bhiwani	10.02.09 to 13.02.09	Basic IT training course at Sinchai Bhawan, Panchkula
173.	Umesh Kumar, Clerk	Bhiwani	10.02.09 to 13.02.09	Basic IT training course at Sinchai Bhawan, Panchkula
174.	Parveen Kumar, Clerk	Bhiwani	10.02.09 to 13.02.09	Basic IT training course at Sinchai Bhawan, Panchkula
175.	Surender Singh Godara, Dy. Supdt.			Personality Development for Prison Officer.
176.	Sudershan, Asstt. Supdt.	Gurgaon		Personality Development for Prison Officer.
177.	Mahabir Singh, Asstt. Supdt.			Personality Development for Prison Officer.

1	2	3	4	5
178.	Sukhram Bishnoi, Dy. Supdt. Karnal			Personality Development for Prison Officer.
179.	Dharambir, Asstt.			Personality Development for Prison Officer.
180.	Virbhan, Asstt. Supdt.			Personality Development for Prison Officer.
181.	Tej Singh, Asstt. Supdt.			Personality Development for Prison Officer.
182.	Ram Kishan, Asstt. Supdt.			Personality Development for Prison Officer.
183.	Sohan Lal, Asstt. Supdt.			Personality Development for Prison Officer.
184.	Sarvar, Asstt. Supdt.		12.02.09 to 13.02.09	Course on seeing and learning at Jail School, Patiala
185.	Surender Pal, AS			
186.	Bhupinder, AS			
187.	Jangsher Singh, AS			
188.	Naresh Kumar, AS			
189.	Anil Kumar, AS			
190.	Sandeep Kumar, AS			
191.	Agnish, AS			
192.	Kuldeep Singh, AS			
193.	Charanjit Singh, AS			
194.	Rajesh Kumar, AS			
195.	Dinesh, AS			
196.	Vijender Singh, AS			
197.	Bhupinder Rohila, AS			
198.	Vijay Kumar, AS			
199.	Dalbir Singh, AS			
200.	Birender Singh, AS			
201.	Satyabhan, AS			
202.	Sandeep Dangi, AS			
203.	Amit Dahiya, Clerk	Kurukshetra	16.02.09 to 20.02.09	Management Information System using MS Access
204.	Pardip Kumar, Clerk	Sonepat	16.02.09 to 20.02.09	Management Information System using MS Access
205.	Mohan Singh, Clerk		16.02.09 to 20.02.09	Management Information System using MS Access
206.	Sewa Singh, Asstt. Supdt.	Rohtak	02.03.09 to 17.03.09	Computer Training course at Reliance Web World
207.	Greta Sharma, Accountant	Rohtak	02.03.09 to 17.03.09	Computer Training course at Reliance Web World
208.	Sunil Kumar, Clerk	Rohtak	02.03.09 to 17.03.09	Computer Training course at Reliance Web World
209.	Anil Kumar, Warder	Rohtak	02.03.09 to 17.03.09	Computer Training course at Reliance Web World
210.	Radhery Gopal, Warder	Rohtak	02.03.09 to 17.03.09	Computer Training course at Reliance Web World
211.	Naresh Kumar, Clerk	Rohtak	02.03.09 to 17.03.09	Computer Training course at Reliance Web World
212.	Rakesh Kumar, Clerk	Rohtak	02.03.09 to 17.03.09	Computer Training course at Reliance Web World
213.	Mahender Kumar, Warder	Rohtak	02.03.09 to 17.03.09	Computer Training course at Reliance Web World
214.	Ilaljit, Warder	Rohtak	02.03.09 to 17.03.09	Computer Training course at Reliance Web World
215.	Dayanand, Dy. Supdt.	Rohtak	02.03.09 to 17.03.09	Computer Training course at Reliance Web World

2. स्त्रियों के लिए कारागार

हरियाणा में 1976 में स्त्रियों के लिए अलग कारागार नहीं थी। बंदी स्त्रियों के केन्द्रीय जेल अम्बाला में एक अलग भाग में रखा जाता था। यह प्रबन्ध पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। इसके लिए हिसार में अलग से भवन निर्माण किया गया और स्त्रियों की अलग देख-भाल के लिए अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, मैटर्न व महिला प्रहरी भी नियुक्त हैं।

वर्ष 2008-09 में जेल में हुई भर्ती दोषी स्त्रियों की संख्या तथा उनका भुगतान नीचे दिया जाता है:-

1.4.2008 को कैदियों की संख्या	सीधे/बदली द्वारा जेल में आये बन्दीयों की संख्या	मुक्त किए गए/ बदली किए बन्दीयों की संख्या	31.3.2009 को बन्दीयों की संख्या
483	2340	2283	540
वर्ष 2008-09 में हरियाणा की सभी जेलों में सभी प्रकार की औरतों की दैनिक औसत संख्या 480 थी। बन्दीयों के कपड़ों की मुरम्मत के लिए/कुछ और कार्य जैसे सिलाई/कढ़ाई आदि का भी प्रबन्ध किया गया।			
3. छोटे बच्चों का विवरण			
जो शिशु बन्दी औरतों के साथ जेल में आये उनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-			
1. 01.04.2008 को बच्चों की संख्या			80
2. 01.04.2008 से 31.03.2009 तक जेल में पैदा हुए बच्चे			06
3. 01.04.2008 से 31.03.2009 तक भर्ती हुए बच्चों की संख्या			203
4. छोड़े गए बच्चों की संख्या			236
5. शेष 31.03.2009 को संख्या			53
1. छः मास तक के बच्चों की संख्या			09
2. छः मास से एक साल तक के बच्चों की संख्या			07
3. एक साल से 3 साल तक के बच्चों की संख्या			21
4. 3 साल से 5 साल तक के बच्चों की संख्या			15
5. 5 साल से उपर के बच्चों की संख्या			01
कुल			53

बोस्टल संस्था एवं बच्चा जेल हिसार

हरियाणा की एक मात्र जेल है, जो कि आधुनिक ढंग की है। इसमें किशोर बन्दीयों लिए खेल-कूद उद्योग सिखाने, स्कूल, हस्पताल आदि का प्रबन्ध है।

वर्ष 2008-09 में इस संस्था में निम्न किशोर बन्दीयों को रखा गया है। उनका इस प्रकार है:-

वर्ष के शुरू में संख्या	आई.पी.सी. के बोस्टल एक्ट के अधीन सिद्ध दोषी	अधीन कैदी
कितने वर्ष भर में दाखिल हुए	07	
जोड़	115	
जिनकी बदली दूसरी जेलों की गई	122	
अपील पर रिहाई	35	
सरकार के आदेश अनुसार रिहाई		
जमानत पर रिहाई	71	
कैद की समाप्ति पर रिहाई	03	
भागीड़े कैदियों की संख्या		
कैद से छूट आदि मिलने पर रिहाई		
मरे हुए कैदियों की संख्या		
अन्य कारणों से		
जोड़	109	
वर्ष के अन्त में शेष कैदी	13	

इस संस्था में ऐसे किशोर बन्दीयों को जिनको न्यायालय से सजा मिलती है और उनकी आयु 21 वर्ष से कम होती है, रखने का प्रबन्ध है। इस प्रकार इस संस्था का उद्देश्य किशोर बन्दीयों के पूर्व जीवन और आचरण के कारणों का पता लगाना है। साथ ही उनको सभ्य नागरिक और कानून का आदर करने वाले शहरी बनाने का प्रयत्न किया जाता है।

इसके लिए उनके मानसिक सुधार, उद्योग तथा कामकाज की ट्रेनिंग आधुनिक खेती-बाड़ी के ढंग सिखाने का प्रबन्ध किया जाता है। इन नौजवानों को नशीली चीजों से दूर रखने तथा पढ़ाई लिखाई आदि का महत्व भी सिखाया जाता है। इससे उनके सुधार और रिहाई के बाद अच्छे नागरिक के तौर पर अपनी जीविका कमाने में सहायता मिलती है। इस संस्था में प्राथमिक स्कूल से हाई स्कूल तक की पढ़ाई का प्रबन्ध किया गया है। साथ ही उच्च शिक्षा की पढ़ाई में बैठने का प्रबन्ध किया जाता है।

5. शारीरिक ट्रेनिंग तथा नैतिक ट्रेनिंग

दूसरे कार्यक्रमों के साथ-2 किशोर बन्धियों को शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा व आचरण की ओर भी ध्यान रखा जाता है और उन्हें ड्रिल, जिमनास्टिक तथा यौगिक अभ्यास प्रशिक्षण कुशल ड्रिल इन्स्ट्रक्टर द्वारा करवाया जाता है। साथ ही बासकेट बाल, कबड्डी आदि क्रीडों का भी प्रबन्ध है। बन्धियों को स्काउट, प्राथमिक चिकित्सा और आग बुझाने का काम सिखाया जाता है। इस प्रकार नैतिक विचारों पर जैसे सत्य, अहिंसा, परिश्रम परस्पर सहयोग, आदि विषयों पर स्टाफ तथा दूसरे पब्लिक कार्यकर्ताओं द्वारा व्याख्यान का प्रबन्ध किया जाता है।

6. मनोरंजन

किशोर बन्धियों के मनोरंजन के लिए झूमों, हास्य नाटकों तथा रंग-रंग कार्यक्रमों में ड्रामेटिक क्लब द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। उनके मनोरंजन के लिए टी० वी० का प्रबन्ध है। लोक सम्पर्क विभाग हरियाणा द्वारा चलचित्र और झूमों भी दिखाये जाते हैं। इससे उनके दैनिक विषयों पर अच्छी तरह से ज्ञान होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है।

7. भवन तथा स्थान

इस समय हरियाणा में निम्नलिखित जेलें हैं :-

1. केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार	02
2. जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुड़गांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द सोनीपत, कुरुक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल व कैथल।	11
3. बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल, हिसार	01
4. उप जेल, पलवल, पानीपत, बल्लगढ़ तथा जगाधरी।	04
कुल जोड़	18

सभी कारागारों में कुल 10482 कैदियों को रखने का स्थान है।

अध्याय-4

बन्दी संख्या

हरियाणा की जेलों में कैदियों की संख्या 01.04.2008 को 13193 थी और यह संख्या 1.03.2009 को 14149 हो गई। वर्ष भर में बन्धियों की औसत संख्या 13196 थी।

विवरण संख्या -1

बन्धियों का प्रवेश तथा भुगतान

क. सिद्धदोषियों की संख्या 1.4.2008 को 4922 थी। वर्ष भर 7903 सिद्धदोषियों को न्यायलयों से सजा मिलने पर या दूसरे स्थानों पर बदलकर हरियाणा राज्य की जेलों में प्रवेश किए गए और 7384 बन्धियों की रिहाई के बाद 31.3.2009 को कुल 5441 सिद्धदोषी जेल में शेष रहे।

ख. सिद्धदोषियों की औसत दैनिक संख्या 1.4.2008 से 31.3.2009 तक 5185 थी। सभी प्रकार के बन्धियों की अधिकतम संख्या 13196 थी।

ग. उच्च श्रेणी के दोषी

उच्च श्रेणी के दोषियों के प्रवेश तथा भुगतान का विवरण इस प्रकार है :-

1.4.2008 को	वर्ष भर में प्रवेश	छोड़े गए	31.3.2009 को शेष
38	23	21	40
घ. नजरबंद			
सभी श्रेणियों के लिए उपर दिए गए आम तथा उच्च श्रेणी के दोषियों के वर्ष भर छोड़े गए नजरबंदों का विवरण:-			
1.4.2008 को	वर्ष भर में प्रवेश	छोड़े गए	31.3.2009 को शेष
.....	1	1	बन्दी

ड जुर्मने के बदले में दोषी

जुर्मने के बदले में कैद हुए दोषियों का विवरण नीचे दिया जाता है :-

गणना	1.4.2008 को वर्ष भर में प्रवेश	वर्ष भर में छोड़े गए	31.3.2009 को शेष
68	904	940	32

च. बच्चे

नियमों के अनुसार 6 वर्ष के बच्चों को अपनी माताओं जिन्हें दण्ड के तौर पर जेल में दाखिल किया जाता है, के साथ रह सकते हैं। इनका पालन-पोषण सरकारी खर्च पर किया जाता है। ऐसे बच्चों का विवरण नीचे दिया जाता है:-

गणना	1.4.2008 को वर्ष भर में दाखिल किए गए	वर्ष भर में जेल में पैदा हुए बच्चे	छोड़े गए	31.3.2009 को शेष
80	203	6	236	53

विवरण संख्या-2

3. धर्म, आयु तथा पिछले व्यवसाय

वर्ष भर में भर्ती हुए दोषियों का धर्म, आयु, तथा शिक्षा और पिछले व्यवसाय के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है :-

तालिका-1

धर्म	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
ईसाई	26	0.33
मुसलमान	573	7.25
हिन्दु तथा सिख	7283	92.15
बौध तथा जैन	02	0.03
दूसरे अन्य धर्म	19	0.24
जोड़	7903	100.00

तालिका-2

अवस्था	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
16 साल से कम		
16 साल से 21 साल तक	397	5.08
22 साल से 30 साल तक	3047	38.56
31 साल से 40 साल तक	2712	34.32
41 साल से 60 साल तक	1411	17.85
60 साल से उपर	336	4.25
जोड़	7903	100.00

शिक्षा

शिक्षा	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
यह जो पढ़ लिख सकते हैं	4814	60.91
यह केवल जो पढ़ सकते हैं	1587	20.08
अशिक्षित	1502	19.01
जोड़	7903	100

अध्यापकों द्वारा 1316 कैदियों को प्रोढ़ शिक्षा दी गई। वर्ष भर में विभिन्न जेलों के प्रताकालयों से 12531 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई।

शिक्षित व्यवसाय

कुल भर्ती हुए 7903 कैदियों में से 4345 का सम्बन्ध खेती-बाड़ी से था तथा दूसरे जेलों में इनकी संख्या 54.98 प्रतिशत थी। शेष बन्दियों का सम्बन्ध अन्य व्यवसायों से था।

विवरण संख्या-3

6. दण्ड	तालिका नं 1	प्रतिशत
दण्ड का स्वरूप	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
दण्ड का स्वरूप	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
साधारण कैद	1650	20.88
कठोर कैद	6253	79.12
जोड़	7903	100.00
7. दण्ड	तालिका नं 2	प्रतिशत
दण्ड की अवधि	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
1 मास तक	933	11.81
1 मास से ऊपर तथा तीन मास से कम	222	02.81
3 मास से ऊपर तथा 6 मास से कम	285	03.61
6 मास से ऊपर तथा 1 वर्ष से कम	386	04.88
1 वर्ष से ऊपर तथा 2 वर्ष से कम	457	05.78
2 वर्ष से ऊपर तथा 5 वर्ष से कम	1137	14.39
5 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष से कम	1669	21.12
10 वर्ष से ऊपर तथा आजीवन कारावास	2809	35.54
11 मृत्यु दण्ड	05	0.06
जोड़	7903	100.00

7. अमरस्थ कैदी (हैबीयूल)

वर्ष भर में 7903 कैदी दाखिल किए गए, दोषियों में 119 अभ्यस्थ बंदी थे।

विचारणीय बन्दी

विचारणीय बन्दीयों की संख्या 1.4.2008 को 8271 थी। वर्ष भर में 60566 और विचारणीय बन्दी प्रवेश हुए। ऐसे बन्दीयों की दैनिक औसत संख्या 8011 थी।

विचारणीय बन्दीयों पर मुकदमा चलाने के फलस्वरूप 8271 (12.65 प्रतिशत) बन्दीयों को दोषी पाया गया तथा 60129 (87.35 प्रतिशत) बन्दीयों को निर्दोष ठहराया गया। विचारणीय बन्दीयों को 46 दिन तक जेल में रहना पड़ा।

विवरण संख्या-19

विचारणीय बन्दी

वर्ष 1.4.2008 को 05 दीवानी बंदी थे। पूरे वर्ष 106 अतिरिक्त दीवानी बंदी भर्ती हुए। कुल संख्या 111 हो गई। वर्ष भर में 105 दीवानी बंदी रिहा किये गए। वर्ष के अंत में 31.3.09 को उनकी संख्या 06 थी।

विवरण संख्या-9

पुनरास्था तथा बन्दीयों की देखभाल

बन्दीयों की सुरक्षा के प्रबंध तथा उनकी देखभाल पर वर्ष 1.4.2008 से 31.3.2009 तक कुल खर्च हुआ। इस प्रकार प्रति व्यक्ति औसत खर्च 300732004/- का कुल खर्च हुआ। इस प्रकार प्रति व्यक्ति औसत खर्च 300732004/- रुपये प्रति वर्ष था (103 रुपये 97 पैसे प्रति बन्दी प्रति दिन)।

विवरण संख्या-12-क

बन्दीयों की काम पर नियुक्ति

क) बन्दीयों की संख्या जिन्हें कठोर कारावास दिया गया - 6253
ख) बन्दीयों की दैनिक औसत संख्या जिन्हें जेल फ़ैक्टरी में नियुक्त किया गया - 709

बन्दीयों का स्वास्थ्य

बन्दीयों का सामान्य स्वास्थ्य वर्ष भर में संतोषजनक रहा बन्दीयों का स्तर भी ठीक रहा जो बनाया रखा गया। बिमारियों से बचने के विभिन्न साधन जुटाये गए जैसे की टी. के छिड़काव, चेचक के टीके आदि, नहाने के स्थान, शौचालय तथा रसोई घरों आदि का सफाई का ध्यान रखा गया।

तपेदिक के बन्दियों को केन्द्रीय जेल अम्बाला में स्पेशल वार्ड में रखा गया और उनको चिकित्सा का उचित प्रबन्ध किया गया।

विवरण संख्या-14

13. जीवन सम्बन्धी सूचना

10736 बंदी वर्ष भर में अस्पताल में भर्ती किए गए।

विवरण संख्या-15

मुख्य रोग जैसे हैजा, पेचिस, मलेरिया, तपेदिक, निमोनिया, अनिमिया के शिकार हुए 423 सिद्धदोषियों को भर्ती किया गया जिन में से 2 बन्दियों की मौत हुई।

विवरण संख्या-ख (जीवांक)

वर्ष भर में 7903 बंदी दाखिल हुए। इनमें से 2149 (27.19 प्रतिशत) के वजन बढ़ोतरी हुई तथा 5299 (67.05 प्रतिशत) के वजन में न ही कोई कमी हुई और न ही कोई बढोतरी हुई। 455 (5.76 प्रतिशत) बन्दियों के वजन में कमी आई।

विवरण संख्या-ग

जिन बन्दियों ने उच्चतम कार्य किया और जिनका आचरण सन्तोषजनक था उन 2604 बन्दियों को छूट प्रदान की गई। 47 आजीवन कारावास बन्दियों को समय से पूरा रिहा किया गया तथा 3370 बन्दियों को पेरोल/फर्लो पर रिहा किया गया।

अध्याय नं० 5

प्रभाग

सदाचार बन्दियों को परिवीक्षा अधीन रिहाई के अधिनियम-1926 पंजाब अभ्यासिक (नियन्त्रण एवं सुधार) अधिनियम 1952 और परिवीक्षा अधिनियम 1962

विभाग का कार्यक्रम

उद्धार विभाग का कार्यभार भी वर्ष 2008-09 में डॉ० जोन वी० जोर्ज, आई०पी०एस० निवेशक कारागार हरियाणा के पास रहा। इस सम्बन्ध में श्री एम० एस० मान, आई०पी०एस० महानिरीक्षक कारागार, श्री आर०सी० जोवल, आई०पी०एस०, महानिरीक्षक कारागार, श्री राय सिंह, एच०पी०एस०, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, श्री के०के० बंसल, मुख्य निरीक्षक, सतबीर शर्मा, लेखा अधिकारी, श्री कर्म चन्द सेणी, लेखा अधिकारी, श्री जितारी, अधीक्षक, श्री जसविन्द्र सिंह गिल, सहायक जिला न्यायवादी तथा श्री जित कुमार अनुभाग अधिकारी ने उनकी सहायता की।

भाग-1

पंजाब अभ्यासिक दोषी, (नियन्त्रण एवं सुधार) अधिनियम-1952 के अन्तर्गत वर्ष भर कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया।

भाग-11

जीला अधिनियम 1962

इस अधिनियम के आकस्मिक दोषियों का खासतौर पर नौजवानों को बिना जेल में रक्खा नै रखे सुधार का प्रबन्ध है। परिवीक्षा अधिकारी दोषी के घर मामले की पृष्ठभूमि की रिपोर्ट द्वारा न्यायलयों की सहायता करते हैं। इसके साथ ही परिवीक्षा अधीन आने की देखभाल करते हैं जिससे उनको अपराधी जीवन से दूर रखा जा सकता है। अधिनियम अब पूर्ण हरियाणा राज्य में लागू है। इस अधिनियम के कार्य का ब्यौरा भी नं० 1 व 2 में सलगन है।

सारणी न०-1

वर्ष भर में जिला परिवीक्षा अधिकारियों में 49 सामाजिक जांच रिपोर्ट न्यायलयों में भेजे गए। कुल मिलाकर 48 व्यक्तियों को परिवीक्षण के लिए छोड़ा गया। विभिन्न जिला अधिकारियों की देख-भाल से 31.03.2009 को 88 परिवीक्षा अधीन व्यक्ति थे। इनमें से 10 को छोड़े गए परिवीक्षा अधीन व्यक्ति शामिल हैं। परिवीक्षा अधिकारियों ने कुल मिलाकर 135 निरीक्षण किए।

गुल मिलाकर परिवीक्षा नियमों का 190 व्यक्तियों ने लाभ उठाया। इनमें से 12 व्यक्तियों को परिवीक्षा अधिनियम धारा-3 के अधीन भर्त्सना करके नहीं छोड़ा गया, 40 व्यक्तियों को देखभाल के लिए परिवीक्षण पर छोड़ा गया। 138 व्यक्तियों को बिना देखभाल के शर्त लगाकर परिवीक्षा पर छोड़ा गया।

परिवर्तना अपराधी अधिनियम 1958 के अधीन व्यक्तियों की रिहाई
वार्षिक विवरण पत्र 2008-09

क्रम	जिला	परिचीक्षा अधिनियम की धारा 3 के अधीन रिहाई यानि भर्तीना करके छोड़े गये	परिचीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन रिहाई पर बिना निरीक्षण के	परिचीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन निरीक्षण पर रिहा	कुल व्यक्ति जो परिचीक्षा अधिनियम के अनुसार रिहा किये गये
1	2	3	4	5	6
1.	अम्बाला				
2.	हिसार		8	5	13
3.	रोहतक			6	2
4.	करनाल		2		2
5.	शिरसा	12	39	14	65
6.	जोध		2		2
7.	गुजराट		70	13	83
8.	मिर्जापुर		17	2	19
कुल	12	138	40	190	

कुल गिलाकर पीने का पानी का प्रबन्ध संतोषजनक रहा ।

क्र.सं.	वि.सं.	प्राप्तिक	वर्ष	2008-09	क शुक	क शुक	विनकी	विनकी	परिवीक्षणधीन	परिवीक्षणधीन	परिवीक्षणधीन	अवधि को	समाप्त कर	राज्य से	राज्य से	बाहर	समाप्त हुई
1	2	3	4	5	क	5	ख	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अम्बाला	2.	हिसार	3.	राहतक	4.	कल्याण	5.	सिरसा	6.	जीन्द	7.	गुजरात	8.	मिर्जापुर	9.	कुल
185	184	183	182	181	180	179	178	177	176	175	174	173	172	171	170	169	168

परीक्षा अथवा अभिलेख 1958 के अधिन परिधीयान अधिन की वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 के द्वारा
 प्राप्ति-I
 निरीक्षण में रखे गए परिधीयान अधिन की संख्या

2. गन्दे पानी का निकास

इसका प्रबन्ध संतोषजनक रहा। अम्बाला, हिसार तथा रोहतक में गन्दे पानी की सिंचाई के काम में लाने की व्यवस्था है।

3. वार्डर गार्ड

अब केवल वार्डर गार्ड का एक ही सर्कल अम्बाला है। इस विभाग की स्वीकृति संख्या इस प्रकार है :-

मुख्य वार्डर	255
वार्डर	2369
मैटरन	42
महिला वार्डर	139

कुल मिलाकर वार्डरों में अनुशासन संतोषजनक रहा।

4. जेल निरीक्षण

माननीय व्यक्तियों, उच्च पदाधिकारियों तथा गैर सरकारी जेल दर्शकों द्वारा विभिन्न जेलों के निरीक्षण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

माननीय मुख्य मंत्री/मंत्रीगण	2
उच्च न्यायलय के न्यायधीश	26
आयुक्त तथा जिलाधीश	11
जिला एवं सेशन जज	227
उपायुक्त	23
महानिदेशक कारागार/अपर महानिरीक्षक जेल	38
गैर सरकारी दर्शक तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों	346

चौकसी से सम्बन्धित तथ्यों बारे

चौकसी विभाग की ओर से वर्ष 2008-09 में किसी अधिकारी/कर्मचारी को कोई सजा नहीं दी गई।

सामान्य

रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों तथा तथ्यों से स्पष्ट है कि इन बातों को यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर विभाग में प्रशासन का कार्य संतोषजनक रहा। बन्धियों द्वारा तथा कर्मचारियों में अनुशासन का स्तर भी संतोषजनक रहा। बन्धियों के सुधार की ओर भी प्रगति हुई।

वर्ष 2008-09 में विभिन्न उद्योगों से रुपये 6251298/- उत्पादन हुआ।

आंकड़ों से ध्यान में निम्नलिखित सूचना विचाराधीन है :-

क. 16 से 21 वर्ष की आयु के अपराधियों की संख्या 4.56 प्रतिशत से घट कर 5.02 प्रतिशत हो गई।

ख. जेलों में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों में पढ़े-लिखों की संख्या 60.61 प्रतिशत रही।

ग. एक वर्ष या इससे कम अवधी की सजा पाने वालों की संख्या 17.98 प्रतिशत से घट कर 23.11 प्रतिशत हो गई क्योंकि थोड़ी अवधी वालों को विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता इसलिये यथा समय थोड़ी अवधी की सजा के स्थान पर प्रोबेशन आदि को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

घ. गुरु दण्डित आजीवन कारावास तथा 10 वर्ष तक दण्डित बन्धियों की संख्या 37.22 प्रतिशत से घट कर 35.61 प्रतिशत हो गई।

च. लगभग 87.35 प्रतिशत विचाराधीन बंदी निर्दोष पाये गए। विचाराधीन बन्धियों की अधिक संख्या तथा जेलों में उपलब्ध को स्थान को देखते हुए जमानत प्रावधानों पर सरकार द्वारा पुनः विचार की आवश्यकता है। जिससे लघु अपराध में विचाराधीन बन्धियों को जमानत पर न्यायालय द्वारा छोड़ा जा सके जोकि जेल की जनसंख्या को भी सीमित रखने में सहायक होगा।

महानिरीक्षक कारागार, हरियाणा।